संख्या–990 /VI/2005–130 पर्य0/2001

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 29 अगस्त, 2005

विषयः जिला योजना 2005–2006 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु अवशेष धनराशि का घनावंटन के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–415/पo3o/2001–59 पर्य0/2001,दिनांक 31 मार्च,2001 एवं आपके पत्र संख्या–142/2–6–215/05–06 दिनांक 24 जून,2005तथा पत्र संख्या–156/2–6–215/05–06 दिनांक 01 जुलाई,2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है निम्नलिखित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2000–2001 में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि रू0 87.25 लाख (रूपये सतासी लाख पच्चीस हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2000–2001 में स्वीकृत धनराशि रू0 41.50 (रूपये इक्यालीस लाख पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2005–06 में क्रमांक–1 योजना हेतु सम्पूर्ण अवशेष धनराशि रू0 0.55 लाख तथा क्रमांक–2 के लिये रू0 15.00 लाख अर्थात कुल रू0 15.55 लाख (रूपये पन्द्रह लाख पच्चपन हजार मात्र)की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जो निम्नानुसार है:–

(धनराशि लाख रू0 में)

रू0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2000–01 मे स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि(रू0 लाख में)
1–	**जनपद–चम्पावत** लोहाघाट में पार्क का विस्तार	2.05	1.50	0.55
2–	**जनपद–रूद्रप्रयाग** गौरीकुण्ड में मंदाकिनी नदी पर 42 मीटर स्पान गार्डर पुल व खच्चर पड़ाव के निर्माण	85.20	40.00	15.00
	योग	87.25	41.50	15.55

(रूपये पन्द्रह लाख पच्चपन हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर के ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उपरोक्त शासनादेश में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का नौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ्स भी यथा समय शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्बर्धन तथा प्रचार-91-जिला योजना 07-पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें- 42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या- (1)VI/2005-130 पर्य0/2001 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- जिलाधिकारी, चम्पावत,रूद्रप्रयाग ।
4- निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
5- निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी चम्पावत,रूद्रप्रयाग ।
7- वित्त अनुभाग-3,
8- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
9- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
10-एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।